जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सी0ओ0) / 2016 / 2020 दिनांक: 01 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः–गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3 / 2020–DM–I(A), दिनांक: 25.11.2020 के दृष्टिगत कोविड–19 के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियों, कन्टेनमेन्ट जोन एवं निगरानी (सर्विलांस) के विषय में दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन)अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश, शासन के अदिनांकित सलग्न पत्र संख्या 2358 / 2020–सी0एक्स0–3 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड–19 के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियों, कन्टेनमेन्ट जोन एवं निगरानी (सर्विलांस) के विषय में दिनांक: 01 दिसम्बर, 2020 से अग्रिम आदेश तक के लिए प्रभावी विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है।

अतएव, आपसे अनुरोध है कि शासनादेश निम्नलिखित दिशा निर्देशों अपेक्षित आचरण एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से पालन महाविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचार्थः–

1. माननीय कुलपति महोदया।
2. समस्त संकायाध्यक्ष एवं संकायाक्ष्य छात्र कल्याण।
3. उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लॉगइन हेतु।
5. विश्वविद्यालय सूचना पट्ट।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया,उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–2358 / 2020–सीएक्स–3

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज
पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर
समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः नवम्बर, 2020

विषयः– गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3 / 2020–DM-I(A), दिनांक 25.11.2020 के दृष्टिगत कोविड–19 के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियों, कन्टेनमेन्ट जोन एवं निगरानी (सर्विलांस) के विषय में दिशा–निर्देश।

महोदय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3 / 2020–DM-I(A), दिनांक 25.11.2020 द्वारा कोविड–19 से सम्बन्धित कन्टेनमेन्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– कोविड–19 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने में राज्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कोविड–19 के सक्रिय केस में निरंतर कमी आ रही है। विगत कुछ सप्ताह में राज्य के कतिपय क्षेत्रों में सक्रिय केस में कतिपय वृद्धि होने के भी संकेत मिले हैं। वर्तमान में त्योहार सीजन, शीतकाल के आगमन तथा कतिपय क्षेत्रों में कोविड–19 विषयक प्रोटोकाल व निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में बरती जा रही किंचित लापरवाही के दृष्टिगत इस महामारी के पुनः प्रसार होने की सम्भावना हो सकती है। ऐसे में पूर्ण सावधानी बरते जाने, कन्टेनमेन्ट कार्य योजना को और सख्ती से लागू किये जाने, कन्टेनमेन्ट जोन की निरन्तर निगरानी किए जाने तथा पूर्व में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का और सख्ती से अनुपालन किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस व नगरीय निकाय प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करते हुये कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कन्टेनमेन्ट मानदण्डों का सख्ती से अनुपालन कराये जाने तथा स्थानीय स्तर पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाने हेतु भी उत्तरदायित्व दिए जाने की आवश्यकता है।

3– विगत कुछ माह में आर्थिक एवं अन्य गतिविधियॉ चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दी गयी हैं तथा इनके संचालन हेतु कार्यात्मक मानक (SOP) तय किये गये हैं। कोविड–19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाल तथा अपेक्षित सावधानियॉ बरतने के साथ–साथ इन आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों को जनहित में जारी रखा जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के क्रम में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–2135 / 2020–सी0एक्स0–3, दिनांक 01.10.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों को यथा संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि–

1. **कोविड–19 के सम्बन्ध में अपेक्षित आचरण (Appropriate behaviour)**

(i) कोविड–19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण / कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन हेतु आवश्यक उपाय किए जाए।

(ii) मास्क पहनने की अनिवार्यता के दृष्टिगत सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाए।

(iii) भीड़–भाड़ वाले स्थलों, यथा मार्केट, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु उचित SOP अपनायी जाए।

Scanned with CamScanner

(iv) वायुयान, ट्रेन व मेट्रो रेल द्वारा यात्राओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत SOP का सख्ती से अनुपालन किया जाए। बस, नाव अथवा यातायात के अन्य साधनों के विषय में भी कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन कराया जाए।

(v) इस विषय में National directives for COVID-19 Management संलग्नक–। में उद्घृत है।

2. **सर्विलांस एवं कन्टेनमेन्ट** –

(i) कोविड–19 के लिए संवेदनशील (Vulnerable) एवं उच्च सम्भावना वाले क्षेत्रों (High incidence areas) में कोविड वायरस की श्रृंखला को समाप्त करने एवं इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कन्टेनमेन्ट जोन का प्रभावी ढंग से चिन्हांकन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शासन स्तर से इस विषय पर निर्गत शासनादेश संख्या–2360/2020–सीएक्स–3, दि0 26.11.2020 में निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कन्टेनमेन्ट जोन का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाय। केन्टेनमेन्ट जोन की सूची जिलाधिकारी द्वारा राज्य की वेबसाईट पर अंकित/प्रसारित भी की जाए तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।

(ii) कन्टेनमेन्ट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियॉ अनिवार्यतः की जाए–

(a) केवल अति आवश्यक गतिविधियां ही अनुमन्य की जाए।

(b) कन्टेनमेन्ट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।

(c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलांस टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।

(d) निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार कोविड–19 की टेस्टिंग की जाए।

(e) कोविड–19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हांकन, ट्रैसिंग, क्वारन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये। (यथा सम्भव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे के अन्दर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिन्हित कर लिये जाए।)

(f) कोविड–19 मरीजों को तत्काल आइसोलेट (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्ते पूर्ण करते है तो होम आइसोलेट) करते हुए चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।

(g) आवश्यकतानुसार हॉस्पीटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की सतत निगरानी रखी जाए।

(h) ILI/SARI के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मोबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रिय किए जाने पर विचार किया जाए।

(i) कोविड–19 से सम्बन्धित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

Scanned with CamScanner

(iii) **कन्टेन्मेन्ट जोन के निर्धारित मानदण्डों का सख्ती से अनुपालन कराए जाने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन, पुलिस व स्थानीय निकाय के अधिकारियों का होगा।**

3. **कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियां –**

कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियों के विषय में शासनादेश संख्या–2135/2020–सी0एक्स0–3, दिनांक 01.10.2020 के प्रस्तर–1(i) से (vi) एवं (viii) में निर्दिष्ट प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे। मात्र प्रस्तर (vii) (कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक/शैक्षिक/ खेल/मनोरंजन/ सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक गतिविधियों के विषय में) में निर्दिष्ट प्राविधानों को शासनादेश संख्या–2337/2020–सी0एक्स0–3, दिनांक 23.11.2020 द्वारा निम्नवत संशोधित किया गया है:–

(a) किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉस की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(b) खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

उपरोक्तानुसार कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर गतिविधियॉ अनुमन्य की जाएगी।

4. **स्थानीय प्रतिबन्ध**

(i) कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर किसी भी राज्य अथवा अन्य जिला/सब डिवीजन/नगर प्रशासन द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। यद्यपि कि कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिस्थितियों का आकलन करते हुये स्थानीय प्रतिबन्ध (यथा रात्रि कर्फ्यू आदि) लागू किया जा सकता है।

(ii) कार्यालयों में भी सामाजिक दूरी के मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। ऐसे शहरों में जहॉ कोविड–19 पाजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक है, वहॉ एक ही समय पर उपस्थित कार्मिकों की संख्या को कम रखने के उद्देश्य से राज्य प्रशासन विखण्डित कार्यालय समय प्रबन्धन (Staggered office timing) अथवा अन्य समुचित प्रबन्धन पर विचार कर निर्णय लेगा।

5. **अन्तर्राज्यीय (Inter-state) एवं राज्य के अन्दर (Intra-state) आवागमन**

अन्तर्राज्यीय (Inter-state) एवं राज्य के अन्दर (Intra-state) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तो के अनुरूप सीमा–पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई–परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

6. **विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्गत SOP का अनुपालन**

समय–समय पर विभिन्न गतिविधियों हेतु शासन स्तर से SOP/मार्ग निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः यात्री ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्ट्स, शॉपिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क्स, योगा केन्द्र, व जिम तथा सभा एवं सभागम आदि हैं। सम्बन्धित अधिकारियों, जो इसके पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी हैं, के द्वारा इनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

7. **संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा–**

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह–रूगणता (co-morbidity) अर्थात् एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चें, सिवाय ऐसी

Scanned with CamScanner

परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे।

8. **आरोग्य–सेतु मोबाईल एप्लीकेशन व आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग–**

(i) आरोग्य–सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्व व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।

(ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए।

(iii) जिला–प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य–सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

(iv) 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं को Aarogya Setu OpenAPI सेवा प्रोत्साहित करेगी। (Email ID-https://openapi.aarogyasetu.gov.in)। यह व्यवस्था संगठनों और कर्मचारियों को कोविड–19 के जोखिममुक्त वातावरण में काम पर लौटने की सुविधा प्रदान करेगी।

9. **दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन**

(i) समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों का आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें।

(ii) सोशल–डिस्टन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा–144 CrPC 1973 का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाए।

10. **दण्डात्मक प्रावधान**

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के किसी व्यक्ति द्वारा उल्लघंन करने पर आपदा–प्रबन्धन अधिनियम, 200 की धारा 51 से 60 तथा भा0दं0वि0 की धारा–188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्वरण (संलग्नक–2) में दिये गये है।

उपरोक्त दिशा–निर्देश दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

.10.20

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा विभाग की ओर से जोनिंग गाइडलाईन्स जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

E:\COVID-19/GO

E:\COVID-19

Scanned with CamScanner